न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 11 / 2022

प्रार्थीगण :-

1. लिखमाराम पुत्र पदमाराम
2. सुजाराम पुत्र पदमाराम
3. कपुराराम पुत्र पदमाराम
4. द्वारकाराम पुत्र पदमाराम
5. भादुदेवी पत्नी पदमाराम सभी जातियान माली
6. भंवरीदेवी पत्नी तगाराम घांची
7. छगनलाल पुत्र अचलाराम मेगवाल
8. मोहनलाल पुत्र मंगलाराम घांची
9. भवंराराम पुत्र मंगलाराम घांची
10. मोहनलाल पुत्र केसाराम माली निवासी जसोल

बनाम

विप्रार्थी –

1. चुन्नीलाल पुत्र सोनाराम
2. जैसाराम पुत्र सोनाराम
3. माणकचन्द पुत्र सोनाराम जाति घांची निवासी पुलिस चौकी के सामने, नाकोडा रोड जसोल
4. मोहनराय भवन संचालक श्री अग्रवाल पंचायत ट्रस्ट बालोतरा जरीये पदेन अध्यक्ष रामकिशन गर्ग पुत्र सतीशचन्द्र गर्ग जाति अग्रवाल निवासी रामलीला मैदान बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
5. भंवरीदेवी पत्नी हेमाराम जाति जाट
6. गेरोदेवी पत्नी दिनेश कुमार
7. भूरीदेवी पत्नी प्रहलादराम जाति जाट निवासीयान समदडी रोड बालोतरा
8. गोतमचन्द पुत्र बच्छराज जाति ओसावाल निवासी रामलीला मैदान बालोतरा।
9. चेलाराम पुत्र तोगाराम के कायम मुकाम
   - 9/1. अशोक कुमार पुत्र चेलाराम
   - 9/2. बाबुलाल पुत्र चेलाराम
   - 9/3. सुखदेव पुत्र चेलाराम सभी जातियान माली
10. देवाराम पुत्र तोगाराम
11. धर्माराम पुत्र तोगाराम

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:42 IST
Reason: SelfAttested

12. गणपतलाल पुत्र तोगाराम
13. मोकीदेवी पत्नी तोगाराम सभी जातियान माली, निवासी जसोल तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री भूपेन्द गहलोत, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता, श्री जेठाराम सिंहल, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या :– 04
3. श्री लाधुराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या :– 5 ता 7
4. विप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 8 ता 13 एकतरफा

आदेश

दिनांक :–10.04.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि सरहद मौजा खेड पटवार खेड के मूल खसरा संख्या 1159/322 रकबा 68.19 बीघा, 311 रकबा 1.01 बीघा, खसरा संख्या 312 रकबा 30.06 बीघा, 1161/322 रकबा 02 बीघा अवस्थित है । उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में बंटवाडा का वाद संख्या 172/2008 प्रस्तुत किया, जो बाद विभाजन कार्यवाही दिनांक 23.05.2013 को स्वीकार कर अंतिम रूप से डिक्री जारी की गई । तदोपरान्त प्रकरण मे दिनांक 13.01.2014 को संशोधित डिक्री पारित हुई । बाद विभाजन प्रार्थी संख्या 01 ता 05 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1925/322, 1918/312, 1933/322, विप्रार्थी संख्या 06 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1917/312, 1924/322, 1932/322, विप्रार्थी संख्या 07 के खातेदारी भूमि खसरा सं. 1916/312, 1923/322, 1931/322, प्रार्थी संख्या 08 व 9 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1919/312, 1927/322, 1934/322, प्रार्थी सं. 10 के खातेदारी भूमि खसरा सं. 1915/312, 1922/322, 1930/322, एवं विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी के खसरा संख्या 1920/312, 1928/322, 1935/322, विप्रार्थी संख्या 5 ता 7 के खातेदारी खसरा संख्या 1926/322, रकबा 14बीघा, विप्रार्थी संख्या 09 ता 13 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:42 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

311, 1914/312, 1921/322, 1929/322 बने । मूल वाद संख्या 172/2008 मे अन्य खसरे एवं पक्षकारान भी रहे है किन्तु इनके सबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं होनेसे उनका विवरण प्रार्थना मे उल्लेखित नहीं किया गया है और न प्रार्थना पत्र मे सम्मलित ही किया गया है । खातेदारान द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 172/2008 मे माफिक अंतिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही हल्का पटवार को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा लट्ठा ट्रेस में अमलदरामद किया जाना चाहिए था । प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि मे जमाबंदी खतौनी मे तो माफिक अंतिम डिक्री, विभाजन प्रस्ताव अमलदरामद कर दिया, किन्तु नक्शा लट्ठा ट्रेस मे मात्र उक्त खसरे की तरमीम नही की जाकर अंतिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव के विपरीत तरमीम दर्ज कर दी, इस कारण नक्शा लट्टा ट्रेस में विभाजन प्रस्ताव से भिन्न प्रवष्टियां दर्ज अंकित होने से प्रार्थीगण के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे है । अन्त मे निवेदन किया कि सरहद मौजा खेड पटवार हल्का खेड के खेड के मूल खसरा संख्या 1159/322 रकबा 68.19 बीघा, 311 रकबा 1.01 बीघा, खसरा संख्या 312 रकबा 30.06 बीघा, 1161/322 रकबा 02 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 1925/322, 1918/312, 1933/322, 1917/312, 1924/322, 1932/322, 1916/312, 1923/322, 1931/322, 1919/312, 1927/322, 1934/322, 1915/312, 1922/322, 1930/322, 1920/312, 1928/322, 1935/322, 1926/322, 311, 1914/312, 1921/322, 1929/322 का माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करने बाबत शुद्वि का आदेश जारीकर रेकर्ड दुरस्ती करने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को अभिलेख राजस्व रेकर्ड तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 ता 7 जरिये वकालतन उपस्थित । शेष विप्रार्थीगण बाद सूचना व सुनवाई के पर्याप्तमः अवसर देने के पश्चात भी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:42 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी संख्या 4 ने जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि अदालत श्री मे विचाराधीन वाद मे पारित अंतिम डिक्री के अनुसार राजस्व नक्शा तरमीम नहीं किया गया हो। विप्रार्थी संख्या 4 राजस्व खसरा संख्या 320/312 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा एवं खसरा संख्या 1928/322 रकबा 8 बीघा 7 विस्वा एवं खसरा संख्या 1166/329 रकबा अधिकारियो के द्वारा नक्शा तरमीम किया गया उसी के अनुसार बेचानकर्ताओ के द्वारा विप्रार्थी संख्या 4 को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया एव हल्का पटवारियों के द्वारा मौके पर भूमि का सीमाकंन के अनुसार अपनी हदबन्दी की पक्की दीवारे भी बनवा दी जो आज भी मौके पर बनी हुई किया गया । जिससे प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 4 के खातेदारी व कब्जे की भूमि मे वर्तमान स्थिति मे वर्तमान स्थिति मे आपत्ति करने से एस्टोप्ड है । उक्त वादग्रस्त आराजी मे हल्का पटवारियों के द्वारा वाद संख्या 172/2008 मे पारित आपसी समझौते के डिक्री के तहत ही राजस्व नक्शे को तरमीम किया गया था । अन्त मे निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है एवं प्रार्थीगण साफ हाथो से अदालत श्री मे नहीं आये है, जिससे प्रार्थीगण कोई इस्तदुआ पाने के अधिकारी नही है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी संख्या 5 ता 7 ने जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के स्वंय का द्वारा अन्तिम डिक्री मे पारित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पालना में बंटवाडा का नामान्तरकरण भरवाया गया एवं नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम करवाई गई थी। दिनांक 06.01.2022 को राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर जानकारी [illegible] गलत है। प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण को कभी नक्शा लठ्ठा [illegible] न विप्रार्थीगण ने राजीनामा के जरिए रेकर्ड नक्शा लठ्ठा ट्रेस दुरस्त [illegible] का कभी कहा एवं इन्कारी का तथ्य भी झूठा है । विप्रार्थीनी संख्या 5, 6 व 7 तीनों पर्दानशीन स्त्रीयां है, जिनको न तो प्रार्थीगण जानते है, एवं न कभी मिले, यदि मिलने का तथ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:42 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सही होता तो प्रार्थीगण अपने प्रार्थना–पत्र मे दिनांक का भी हवाला देते , मगर कोई दिनांक का हवाला नहीं दिया गया है । अन्त में निवेदन किया गया कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा लठ्ठा ट्रेस मे अमल बरामद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को उसी समय रिव्यू प्रार्थना पत्र या अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा नही कर क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अन्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश फरमावें ।

दोनो पक्षो की ओर से जबाब प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट व रेकर्ड की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने बाबत तहरीर जारी की गयी । जिस पर तहसीलदार पचपदरा की और से जांच रिपोर्ट दिनांक 16.5.2022 व 26.2.2023 के अनुसार खसरा संख्या 1928 / 322, 1926 / 322, 1927 / 322, 1925 / 322, 1924 / 322, 1923 / 322, 1922 / 322, 1921 / 322, 1920 / 312, 1919 / 312, 1918 / 312, 1917 / 312, 1916 / 312, 1915 / 312, 1914 / 312 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे क्रमशः रकबा 8–07, 14–00, 5–12, 11–04, 8–08, 5–13, 8–09, 7–06, 3–13, 8–10, 4–17, 3–13, 2–08, 3–12 व 3–13 बीघा दर्ज है । जबकि राजस्व रेकर्ड लठठा ट्रेस मे क्रमशः 13–12, 18–08, 6–12, 7–16, 5–02, 5–03, 3–06, 6–02, 4–06, 6–07, 3–10, 4–11, 2–17, 3–08 व 5–00 बीघा दर्ज है । इस प्रकार मूल खेत खसरा संख्या 1159 / 322, 311, 312, 1161 / 322 के विभाजित खसरो का जमाबदी मे दायर रकबे से लटठा ट्रेस अनुसार रकबा कम या ज्यादा होने से संलग्न परिशिष्ट "अ" वर्तमान लठठा ट्रेस अनुसार त[illegible] व संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम शुद्व किया [illegible] पक्षकरानो व मौतबिरानो के रूबरू मौका फर्द तैयार की जाकर उभय प[illegible]नो व मतौबिरानो को मौका फर्द पढकर सुनाई गई व हस्ताक्षर व अगुठे अंकित करवाएं गये । मौका फर्द पर पटवारी खेड व आई.एल.आर के हस्ताक्षर अंकित है । साथ ही

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:42 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार पचपदरा ने अग्रेषित पत्र मे यह टिप्पणी की है कि ,विभाजन डिक्री मे संलग्न नक्शा अनुसार शुद्धि योग्य प्रकरण न होकर उक्त विभाजन को समक्ष अपीलीय कोर्ट मे अपील किया जाकर तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित है। जिस पर न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी को तलब किया गया। हल्का पटवारी ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रस्तुत तरमीम शुद्धि रकबा अनुसार कि जानी उचित है रकबे मे अन्तर है जो कि जमाबन्दी व राजस्व मानचित्र मे मेल नहीं खाते है ।

हमने विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी । प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि मे जमाबद़ी मे माफिक अंतिम डिक्री, विभाजन प्रस्ताव अमलदरामद कर दिया, किन्तु नक्शा लट्ठा ट्रेस मे मात्र उक्त खसरे की तरमीम नहीं की जाकर अंतिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव के विपरीत दर्ज कर दी है । तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट कें अनुसार भी इस तथ्य की पुष्टि हो गयी है कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व लठठा ट्रेस मे रकबे मे अन्तर है । अन्त मे निवेदन किया कि सरहद मौजा खेड पटवार हल्का खेड के खेड के मूल खसरा संख्या 1159/322 रकबा 68.19 बीघा, 311 रकबा 1.01 बीघा, खसरा संख्या 312 रकबा 30.06 बीघा, 1161/322 रकबा 02 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 1925/322, 1918/312, 1933/322, 1917/312, 1924/322, 1932/322, 1916/312, 1923/322, 1931/322, 1919/312, 1927/322, 1934/322, 1915/312, 1922/322, 1930/322, 1920/312, 1928/322, 1935/322, 1926/322, 311, 1914/312, 1921/322, 1929/322 का माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करने बाबत शुद्धि का आदेश जारीकर रेकर्ड दुरस्ती करने का आदेश प्रदान करावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:42 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे जबाब में अंकित तथ्यो का दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का माफिक अन्तिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया है । अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है एवं प्रार्थीगण साफ हाथो से अदालत श्री मे नहीं आये है, जिससे प्रार्थीगण कोई इस्तदुआ पाने के अधिकारी नही है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे ।

विप्रार्थी संख्या 5 ता 7 अधिवक्ता नें अपनी बहस मे जबाब में अंकित तथ्यो का दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के स्वंय का द्वारा अंमि डिक्री मे पारित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पालना में बंटवाडा का नामान्तरकरण भरवाया गया एवं नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम करवाई गई थी। अन्त में निवेदन किया गया कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा लठ्ठा ट्रेस मे अमल बरामद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को उसी समय रिव्यू प्रार्थना पत्र या अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा नही कर क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अन्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश फरमावें ।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना व बहस पर मनन किया पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व लठठा ट्रेस मे रकबे मे अन्तर है जो जमाबंदी व राजस्व मानचित्र लठठा ट्रेस मे [illegible]ाते है । तहसीलदार की टिप्पणी है कि सक्षम अपीलीय न्याय[illegible] की जाए। तरमीम मे अन्तर राजस्व प्रक्रिया मे लापरवाही से हुआ है न कि विभाजन के आदेश में। विभाजन आदेश के हुबहु, रकबा मिलान के पश्चात ही तरमीम की जानी थी । विप्रार्थी संख्या 04 व 5 ता 7 की बहस पर मनन करने पर भी यह पाया कि विप्रार्थीगण ने यह कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:42 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

किया है कि सक्षम अपीलीय न्यायालय मे विभाजन को चुनौती दी जानी थी जबकि प्रार्थी द्वारा ऐसा नही करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाएं । विप्रार्थी का उक्त तथ्य भी सारहीन व निरर्थक प्रतीत होता है । राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व लठठा ट्रेस मे रकबे मे अन्तर राजस्व प्रकिया में त्रुटिपूर्ण अंकन को दर्शाता है । अलावा इसके वर्तमान प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड लठठा ट्रेस मे हुई अशुद्व तरमीम की दुरस्ती हेतु पेश किया है, प्रार्थी द्वारा अन्तिम डिकी के विपरीत कोई कथन नहीं किया है । प्रार्थी ने अंतिम डिक्री को स्वीकार किया है जिसमे लठठा ट्रेस मे दर्ज उक्त त्रुटि को जरिये शुद्वि नहीं किये जाने पर भविष्य मे विवाद की स्थिती उत्पन्न हो सकती है , तथा लठठा ट्रेस मे दर्ज अशुद्व तरमीम को दुरूस्त करने का अधिकार राज0भू0राज0अधि0 की धारा 131–136 के तहत श्री न्यायालय को प्राप्त है इसलिए प्रश्नगत खसरान के राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस मे दर्ज अशुद्व तरमीम को जरिये शुद्वि दुरूस्त करना न्याय के हित मे आवश्यक प्रतीत होने से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है । तहसीलदार पचपदरा को हिदायत दी जाती है कि उक्त प्रकरण मे मौका फर्द के संलग्न आप द्वारा प्रस्तुत अग्रेषित पत्र मे यह टिप्पणी अंकित करना कि विभाजन डिक्री मे संलग्न नक्शानुसार शुद्वि योग्य प्रकरण न होकर विभाजन को सक्षम अपीलीय कोर्ट मे विभाजन को चुनौति दी जाएं । तहसीलदार पचपदरा की उक्त टिप्पणी क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार के परे है व न्यायिक दृष्टिकोण से भी सर्वथा अनुचित है व ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त टिप्पणी अंकन करने से पूर्व तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्र के संलग्न मौका रिपोर्ट का भी अध्ययन व मनन नही करना पाया जाता है । तहसीलदार पचपदरा के अग्रेषि[illegible] अंकित टिप्पणी के विपरीत संलग्न मौका फर्द रिपोर्ट में परि[illegible] किया जाना प्रस्तावित किया गया है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त [illegible]टिप्पणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:42 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अंकित की गई है। अतः इस सम्बन्ध मे भविष्य मे सतर्कता रखने की सलाह दी जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा खेड पटवार हल्का खेड के मूल खसरा संख्या 1159/322 रकबा 68.19 बीघा, 311 रकबा 1.01 बीघा, खसरा संख्या 312 रकबा 30.06 बीघा, 1161/322 रकबा 02 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 1925/322, 1918/312, 1933/322, 1917/312, 1924/322, 1932/322, 1916/312, 1923/322, 1931/322, 1919/312, 1927/322, 1934/322, 1915/312, 1922/322, 1930/322, 1920/312, 1928/322, 1935/322, 1926/322, 311, 1914/312, 1921/322, 1929/322 मे कब्जा/बंटवाडा/बेचान/जमाबंदी / माफिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री अनुसार व मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार नक्शा लठठा ट्रेस मे विधि अनुसार तरमीम दुरूस्त कर दर्ज की जावे । निर्णय से किसी भी पक्षकार का जमाबन्दी मे दर्ज रकबा परिवर्तन नही किया जाएगा। मौके से किसी भी पक्षकारान को नहीं हटाया जा सकेगा । विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री व परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न अंग होगा। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:27:42 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 10.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा